भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 461

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

461. श्री अरुण भारती:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई धनराशि का माहवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में शामिल नदियों और खंडों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) एनआरसीपी के अंतर्गत नदियों में विशेष रूप से बिहार राज्य में अशोधित मलजल और औद्योगिक अपशिष्टों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) प्रमुख नदी क्षेत्रों में बेहतर जल गुणवत्ता और जैव विविधता बनाये रखने में एनआरसीपी के अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) क्या सरकार एनआरसीपी के अंतर्गत नदी संरक्षण में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को शामिल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ड़): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों का प्राथमिक दायित्व है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में पानी छोड़ने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के माध्यम से गंगा बेसिन में और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश की अन्य नदियों/सहायक नदियों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर बिहार राज्य सहित अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान कर रही है।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नदी प्रदूषण उपशमन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाता है और इन्हें एनआरसीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए इस मंत्रालय

के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं। इन प्रस्तावों पर योजना दिशा-निर्देशों की अनुरूपता के तहत विचार किया जाता है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन/निष्पादन का कार्य राज्य सरकार के विभागों के अंतर्गत आता है और भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की अंतरिम प्रगति की समीक्षा करने के पश्चात स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों को निधियां वितरित की जाती है। पिछले 2 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट और राज्यों को दिए गए मासिक संवितरण का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न हैं।

प्रस्तावों पर एनआरसीपी की संबंधित स्कीम के दिशा-निर्देशों के आधार पर विचार किया जाता है जिन्हें निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है - https://nrcd.nic.in/writereaddata/FileUpload/Guidelines_for_Report_Preparation_under_NRCP_NGR_A_Dec%202010.pdf

एनआरसीपी के अंतर्गत 1995 इसके प्रारंभ से विभिन्न नदी क्षेत्रों के प्रदूषण उपशमन के लिए राज्यों द्वारा चिह्नित परियोजनाएं, स्वीकृत की गई हैं। ये परियोजनाएं 17 राज्यों के 100 शहरों में 57 नदियों पर स्थित थीं।

औद्योगिक बहिस्त्रावों के मामले में, औद्योगिक इकाइयों को नदियों और जल निकायों में डालने से पहले निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने बहिस्त्रावों का शोधन करना होता है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां बहिस्त्राव निस्सारण मानकों के संबंध में उद्योगों की मॉनिटरिंग करती हैं और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती हैं।

बिहार राज्य पूर्णत गंगा बेसिन में आता है। बिहार राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 803 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की शोधन क्षमता वाली 38 सीवरेज अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 341 एमएलडी क्षमता की 18 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा कर ऑपरेशनल कर दिया गया है।

एनआरसीपी के अंतर्गत, अब तक, अन्य बातों के साथ-साथ, 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है जिसके परिणामस्वरूप, नदियों में अशोधित सीवेज के प्रत्यक्ष निस्सरण में कमी आई है जिससे उनकी जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी पारिस्थितिकी पुनः बहाल हुई है। एनआरसीपी के अंतर्गत शामिल नदी क्षेत्रों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

राज्य सरकार के विभागों द्वारा, भूमि की उपलब्धता, प्रदूषण स्तर आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर, परियोजना और प्रौद्योगिकी की पहचान की जाती है।

*****

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत माह-वार आबंटित, स्वीकृत, संवितरित और उपयोग की गई निधियां

माह	जारी/वितरित/उपयोग की गई निधि / (करोड़ रुपये में)		
	2022-23	2023-24	2024-25 (दिसंबर, 2024)
आवंटित/स्वीकृत निधियां	449.02	432.01	591.12
अप्रैल	-	-	-
मई	-	-	-
जून	1.07	-	-
जुलाई	-	-	-
अगस्त	10.00		-
सितंबर	63.00	76.91	77.33
अक्टूबर	27.99	27.14	66.25
नवंबर	92.25	23.74	22.50
दिसंबर	24.67	29.17	10.00
जनवरी	-	-	-
फ़रवरी	-	142.78	-
मार्च	213.95	91.49	-
कुल:	432.93	391.23	176.08

*****

अनुलग्नक-।।

'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

इस समय एनआरसीपी के अंतर्गत आने वाली नदियों और नदी क्षेत्रों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य	शामिल की गई नदियाँ / नदी क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश	गोदावरी
2	तेलंगाना	गोदावरी और मुसी
3	जम्मू और कश्मीर	देविका, तवी, झेलम और बाणगंगा
4	झारखंड	सुबर्णरेखा
5	गुजरात	साबरमती, मिंडोला और तापी
6	गोवा	मंडोवी और जुआरी
7	कर्नाटक	तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी और पेन्नार
8	महाराष्ट्र	गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा और मूला-मुट्टा और नागा
9	मध्य प्रदेश	वैनगंगा, नर्मदा और ताप्ती
10	मणिपुर	नांबुल, इम्फाल-मणिपुर
11	ओडिशा	ब्राह्मणी, महानदी तटीय क्षेत्र (पुरी)
12	पंजाब	घग्गर, ब्यास और सतलुज
13	राजस्थान	जोजरी
14	तमिलनाडु	अड्यार, कुम, वैगई, वेन्नार, कावेरी और ताम्रभारणी
15	केरल	पंबा, चित्रपुझा और पेरियार
16	सिक्किम	रानी चू, तीस्ता, रंगित
17	नागालैंड	दीफू और धनसिरी, चेथे, ज़ुंगकी, गारू, मेलक, तापी, पुण्योंगानमोंग, केलेरेउ, सेज़ू और तिज़ू, डोनयुंगशुमंग, मुत्सुम, माराचू और तिज़ू

*****